न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 29/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1रमेशचंद बजाज पुत्र राजाराम बजाज जाति माहेश्वरी निवासी निवारघरो का मोहल्ला, मेडता। फर्म–महेशचंद रमेशचंद, कचहरी रोड, घोसीवाडा, मेडतासिटी। 2राजाराम बजाज पुत्र शिदयाल बजाज जाति माहेश्वरी निवासी निवारघरो का मोहल्ला, मेडता। फर्म–महेशचंद रमेशचंद, कचहरी रोड, घोसीवाडा, मेडतासिटी। 3सुशीला देवी पत्नी नवल किशोर पुंगालिया निवासी बी–71, नृसिंह विहार, लालसागर, जोधपुर पिन 342026 फर्म–मैसर्स उत्तम ट्रेडर्स, वी–06 मण्डोर मण्डी, जोधपुर। 4चन्द्रप्रकाश टेकवानी पुत्र स्व. पी.जी. टेकवानी निवासी 17ई/621 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। फर्म–मैसर्स पायल मार्केटिंग, शॉप नं. 12 भगवान बलराम ब्लॉक मण्डोर मण्डी जोधपुर पिन 342027 5प्रजापति विजय कुमार गंगाराम भाई निवासी 3, Prajapatiwas, Meloj, Sidhpur (Town) Patan (Gujrat)-384151 फर्म–M/s Gokul Agro Resources Ltd. 80, 90 & 91 Meghpar Borichi Galpadar Road Nr. Sharma Resort Tal: Anjar-370110 District Kutch 6 M/s Gokul Agro Resources Ltd. 80, 90 & 91 Meghpar Borichi Galpadar Road Nr. Sharma Resort Tal: Anjar-370110 District Kutch

आदेश दिनांक : 17.01.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22-12-2017 को मैसर्स महेशचंद रमेशचंद, कचहरी रोड, घोसीवाडा मेडतासिटी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 935 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 1205/एक्ट/2017/10 दिनांक 03.01.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना वनस्पति (जायका) Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रमेशचंद बजाज पुत्र राजाराम बजाज जाति माहेश्वरी निवासी मेडता, राजाराम बजाज पुत्र शिवदयाल बजाज जाति माहेश्वरी निवासी मेडता, सुशीला देवी पत्नी नवल किशोर पुंगालिया, चन्द्रप्रकाश टेकवानी पुत्र स्व. पी.जी. टेकवानी, प्रजापति विजय कुमार गंगाराम भाई निवासी 3, Prajapatiwas, Meloj, Sidhpur (Town) Patan (Gujrat)-384151 तथा फर्म– M/s Gokul Agro Resources Ltd. 80, 90 & 91 Meghpar Borichi Galpadar Road Nr. Sharma Resort Tal: Anjar-370110 District Kutch ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 30-07-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 दिनांक 13.9.18 तथा 5 व 6 की ओर विजय प्रजापति दिनांक 12.12.19 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए। इसके पश्चात न तो अप्रार्थीगण उपस्थित हुए है और न ही उसके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उनके प्रतिनिधि तथा अप्रार्थी सं. 4 ने दिनांक 12.12.19 को अपने जवाब प्रस्तुत किये। अप्रार्थी सं. 3 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य पदार्थ Vanaspati जायका ब्राण्ड मैने बिल नं. 992 दिनांक 11.10.17 को पायल मार्केटिंग मण्डोर मण्डी से खरीदा था। मेरे द्वारा उपरोक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति जायका ब्राण्ड मै. महेशचन्द्र रमेशचन्द्र कचहरी रोड मेडतासिटी को बिल नं. 17599 दिनांक 17.10.17 द्वारा बेचा गया। मैने पायक मार्केटिंग मण्डोर मण्डी से वनस्पति जायका ब्राण्ड पैंकिग (1 लीटर पाउच) पैकिंग मे खरीदा था एवं उसी अवस्था मे अर्थात उसी पैकिंग (1 लीटर पाउच) ही मेरे द्वारा उक्त मेडतासिटी की फर्म मे महेशचन्द्र रमेशचन्द्र को बेचा गया। उपरोक्त खाद्य पदार्थ जायका ब्राण्ड जैसा मैने खरीदा था। वैसा ही मैने बेचा मेरे द्वारा न तो उसका निर्माण या पैकिंग नही की गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 27(2) मे असुरक्षित एवं मिथ्याछाप के लिये विक्रेता से लेकर निर्माता तक सभी दोषी बताया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अन्तर्गत Sub Standard खाद्य पदार्थ के लिये निर्माता फर्म ही जिम्मेदार है। अतः प्रार्थी को दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी सं. 4 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य पदार्थ वनस्पति जायका ब्रान्ड दिनांक 18.9.17 को गोकुल एग्रो रिर्सोसस लि. गांधीधाम से बिल नं. 1701007474 के तहत खरीदा था। उपरोक्त जायका ब्रान्ड खाद्य पदार्थ जैसा मैने खरीदा था। वैसा ही मैने बेचा मेरे द्वारा न तो उसका निर्माण या पैकिंग नही की गई है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के लिये निर्माता फर्म ही जिम्मेवार है। इस मुकदमे मे दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात सुनवाई मे अनुपस्थित रहे है तथा अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 व 6 के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने अपने जवाब मे खाद्य पदार्थ जैसा पैकिंग अवस्था मे खरीदा गया, वैसा ही बेचना बताते हुए दोष मुक्त करने हेतु निवेदन किया गया है। जबकि खाद्य पदार्थ निर्माता से क्रय करते समय सभी गुणवत्ता वाले तथ्यो को ध्यान मे रख कर ही खाद्य पदार्थ का क्रय विक्रय करना चाहिये था। मात्र जैसा पैकिंग था, उसी अवस्था मे विक्रय करने का कहने मात्र से अप्रार्थी अपने दायित्व से मुक्त नही हो जाता है। अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 व 6 द्वारा कोई जवाब / Contest नही किये जाने से उनकी ओर से उक्त कार्यवाही किया जाना व सही होना ही प्रतीत होता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 1205/एक्ट/2017/10 दिनांक 03.01.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 व 2 रमेशचंद बजाज पुत्र राजाराम बजाज जाति माहेश्वरी निवासी मेडता, राजाराम बजाज पुत्र शिवदयाल बजाज जाति माहेश्वरी निवासी मेडता पर संयुक्त रूप से 20,000/- अक्षरे बीस हजार रू., अप्रार्थी सं. 3 सुशीला देवी पत्नी नवल किशोर पुंगालिया पर 30,000/- अक्षरे तीस हजार रू., अप्रार्थी सं. 4 चन्द्रप्रकाश टेकवानी पुत्र स्व. पी.जी. टेकवानी पर 30,000/- अक्षरे तीस हजार रू. व अप्रार्थी सं. 5 व 6 प्रजापति विजय कुमार गंगाराम भाई निवासी 3, Prajapatiwas, Meloj, Sidhpur (Town) Patan (Gujrat)-384151 तथा फर्म- M/s Gokul Agro Resources Ltd. 80, 90 & 91 Meghpar Borichi Galpadar Road Nr. Sharma Resort Tal: Anjar-370110 District Kutch पर संयुक्त रूप से 1,00,000/- अक्षरे रूपये एक लाख कुल राशि रू. 1,80,000/- अक्षरे एक लाख अस्सी हजार रू. शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)